उत्तर प्रदेश शासन
स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन-2
(नियोजन विभाग)
संख्या-04/2024(949/24)/3/1/35-एस0टी0सी0-2/2024-02 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 29 मार्च,2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन (नियोजन विभाग) की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें,101-योजना आयोग/योजना बोर्ड, 06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत मद संख्या-42-अन्य व्यय में सम्भावित बचतों से धनराशि रूपये-41,000/-(रूपये एकतालिस हजार मात्र) को मानक मद संख्या-46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/सफ्टवेयर का क्रय मद में पुनर्विनियोग द्वारा स्थानान्तरित कर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) बचत की मद में अतिरिक्त धननाशि की मॉग नही की जायेगी।
(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(4) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2- उक्त पुनर्विनियोग वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर0ई0-बजट-1-874-ई-5-192-x-2023-24 दिनांक-29 मार्च, 2024 ,द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या-04/2024(949/24)/3/1/35-एस0टी0सी0-2/2024-02 टी0सी0तद्दिनांक-:</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

(1)महालेखाकार,(द्वितीय)एम0सी0सी0 अनुभाग-4 उप्रयागराज। 0प्र0
(2)महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
(3)वरिष्ठ आडिट अधिकारी(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज
(4)मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(5)आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन।
(6) अनुभाग अधिकारी, लेखा, नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(9) नियोजन अनुभाग-1
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।